न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम, सहारनपुर।

पीठासीन अधिकारी– श्री श्रेय शुक्ला, उच्चतर न्यायिक सेवा।

J.O. Code– UP3845

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 2095/2026

CNR NO–UPSP010055422026

चतरू पुत्र रगबीरा, निवासी ग्राम भोजपुर, थाना नानौता, जिला सहारनपुर।

..... प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी।

मु०अ०सं०–14/2025
धारा– 74, 75, 352 बी.एन.एस.
थाना–नानौता, जिला–सहारनपुर।

11.06.2026

आवेदक/अभियुक्त **चतरू** की ओर से मु०अ०सं०–14/2025, धारा–74, 75, 352 भा0 न्या0 संहिता, थाना–नानौता, जिला सहारनपुर के मामले में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के साथ शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिनी पूनम देवी पत्नी शिवकुमार गांव भोजपुर, थाना नानौता, जिला सहारनपुर की निवासी हूं। मेरी शिकायत है कि दिनांक 09.01.2025 को प्रार्थिया सलेलता पत्नी इन्द्रपाल निवासी भोजपुर के साथ खेत में घास काटने गयी थी तभी चतरू पुत्र रगबीरा ने मेरे साथ मेरे पति की गैर मौजूदगी में मेरे साथ छेड़खानी व अश्लील हरकते की उसने मेरे कंधो पर हाथ रखकर जबरदस्ती करने की कोशिश की मैं काफी चिल्लाई परन्तु मौके पर कोई नहीं आया सलेलता पत्नी इन्द्रपाल ने आकर मुझे चतरू से बचाया विपक्षी काफी दंबग किस्म का व्यक्ति है व उसने ऐसी वारदात कई बार पहले भी गांव में की है। विपक्षी कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मेरे साथ गन्दी–गन्दी गाली देते हुए चला गया। अतः कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से बहस की गयी है कि प्रार्थी को उक्त वाद में झूठा व गलत अभियुक्त बनाया गया है। जबकि प्रार्थी ने कोई अपराध किसी प्रकार का नहीं किया है। प्रार्थी निर्दोष है और उसे गलत बयान के आधार पर ही उक्त वाद में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी का यह पहला अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रार्थी को उक्त वाद में पुलिस थाना मुतलिका द्वारा धारा 35(3) बी.एन.एस.एस. के नोटिस पर छोड़ा गया है और प्रार्थी ने धारा 35(3) के नोटिस का कोई भी उल्लंघन नहीं किया है। उक्त वाद में अब न्यायालय में आरोपपत्र आ चुका है। आरोपपत्र आने के बाद अपना यह अग्रिम जामनत प्रार्थनापत्र मा० न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कथन

किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में गलत कथन किये गये हैं। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया।

पत्रावली एवं थाने से प्राप्त आख्या एवं केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त पर वादिया मुकदमा/पीड़िता के साथ छेड़खानी करते हुए अश्लील हरकते की व पीड़िता के कंधे पर हाथ रखकर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हुए गाली–गलौच किये जाने का आक्षेप है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। पत्रावली के अवलोकन से दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त को धारा– 35(3)भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नोटिस के प्रावधानों के अनुपालन में बिना गिरफ्तार किए आरोप पत्र प्रेषित किया जाना परिलक्षित है। प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र प्रेषित किये जाने एवं उक्त आरोप पत्र पर अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2026 को प्रसंज्ञान लेकर अभियुक्त के विरूद्ध समन जारी किए जाने पर अभियुक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। कथित अपराध सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है। अभियोजन की ओर से आवेदक/ अभियुक्त का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं दर्शाया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि–व्यवस्था **Satendra Kumar Antil vs CBI and others 2023 LL (SC) 233** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

> It is the duty of public prosecutor also to plead correct legal position before the Court as officers of the Court. We would like to clarify that what we have enunciated qua bail would equally apply to anticipatory bail cases. Anticipatory bail after all is one of the species of a bail.

अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उक्त विधि–व्यवस्था में पारित किये गये आदेश के अनुपालन में तथा मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये तथा मामले के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने हेतु पर्याप्त आधार है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **चतरू** की ओर से प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को उपरोक्त वर्णित अभियोग में मु० **25,000/– रू०** का एक व्यक्तिगत बन्धपत्र और इसी धनराशि का एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संस्तुति के अनुरूप अन्दर **15 दिन** दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जायेः–

1. अभियुक्त, मामले की सुनवाई हेतु नियत तिथियों पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा
2. अभियुक्त आरोप विरचन के समय, साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षीगण के उपस्थित रहने पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
3. अभियुक्त प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी भी प्रकार का दबाव, धमकी, प्रलोभन किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं करेगा, जो केस के तथ्यों के सम्बन्ध में जानकारी रखता हो।

4. अभियुक्त, धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
5. अभियुक्त विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।
6. अभियुक्त, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहेगा।
7. अभियुक्त, न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना देश नहीं छोड़ेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लघंन किये जाने पर न्याायलय द्वारा उसके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाये।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित **थानाध्यक्ष/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर** को जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के माध्यम से अविलम्ब प्रेषित की जाये।

दिनांक 11.06.2026

(श्रेय शुक्ला)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय–प्रथम,
सहारनपुर।
J.O. Code–UP3845

Digitally signed by Shrey Shukla
Date: 2026.06.17 14:21:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court